

फिल्म बन्धु समिति

क्र० सं०	समिति का नाम	समिति का मुख्य कार्य	गठित समिति के पदाधिकारी/पदेन सदस्य	बैठक की आवृत्ति	
1.	फिल्म बन्धु उ० प्र०	<p>1—फिल्म को अनुदान</p> <p>2—भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे तथा सत्यजीत-रे- फिल्म टेलीविजन संस्थान को कोलकाता में प्रशिक्षणरत प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति</p> <p>3— भारतेन्दु नाट्य अकादमी के छात्रों को फिल्म प्रशिक्षण कराने के लिए अनुदान</p>	<p>1—प्रमुख सचिव, सूचना</p> <p>2—सचिव, सूचना</p> <p>3—सचिव, वित्त</p> <p>4—सचिव, कर एवं निबन्धन</p> <p>5—सचिव, उद्योग</p> <p>6—सचिव, संस्कृति</p> <p>7—महानिदेशक, पर्यटन</p> <p>8—प्रबन्ध निदेशक पिकप</p> <p>9—मनोरंजन कर आयुक्त</p> <p>10—निदेशक, सूचना</p> <p>11—अपर निदेशक, सूचना</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>उपाध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सचिव</p> <p>सदस्य कार्यान्वयन</p>	<p>साधारण प्रतिवर्ष</p> <p>अथवा अध्यक्ष के निर्देशानुसार</p>